संख्या–पी–62/14–2–2016–800(81)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 27 मई 2016

विषयः– बिजनौर में नहटौर–नूरपुर –जोया–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खेसरा संख्या–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया कार्यालय पत्र संख्या–2070/ बिजनौर/15797/यूपी–162/2015, दिनांक 29–3–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से बिजनौर में नहटौर–नूरपुर –जोया–अमरोहा मार्ग किमी0 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खेसरा संख्या–147 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैः–

(1) एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिये कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में भविष्य में बढ़ोत्तरी होती है, तो उसका भुगतान किया जायेगा।

(2) प्रतिपूरक वनीकरण प्रमाण–पत्र में ओवरराइटिंग की गयी, जिस पर हस्ताक्षर भी नहीं है।

(3) डिजिटल मैप की सी0डी0।

कृपया तदनुसार सूचना/अभिलेख शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
( भूपेन्द्र बहादुर सिंह )
अनु सचिव।